न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 25 / 2020 (2020 / 00033)

प्रार्थी / निगरानीकर्ता :–

रघुनाथराम पुत्र शंकरलाल, जाति नाई, निवासी ग्राम पंचायत मोगड़ा कला, तहसील व पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत मोगड़ा कला।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मोगड़ा कला।
3. लिक्ष्मणराम पुत्र दलाराम, निवासी मोगड़ा कलां, तहसील व पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 मिसल संख्या 124 / 2018–19 पट्टा क्रमांक 49, भूखण्ड संख्या शून्य, खसरा संख्या 366, बनाप 282.76 वर्गगज जो अप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष में ग्राम पंचायत मोगड़ा कला द्वारा दिनांक 29.11.2019 को जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत्।

उपस्थिति :

1. अधिवक्ता श्री तनसिंह व रामनिवास (प्रार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री सुखदेव पटेल (अप्रार्थी संख्या 01 व 02)
3. अधिवक्ता श्री मोतीसिंह व करणसिंह (अप्रार्थी संख्या 03)।

आदेश दिनांक :–11.10.2022

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 मिसल संख्या 124 / 2018–19 पट्टा क्रमांक 49, भूखण्ड संख्या शून्य, खसरा संख्या 366, बनाप 282.76 वर्गगज जो अप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष में ग्राम पंचायत मोगड़ा कला द्वारा दिनांक 29.11.2019 को जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मोगड़ा कला द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 को पंचायत राज नियमों का उल्लघंन करते हुए विधिविरूद्ध पट्टा जारी किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह पंचायत निगरानी पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:23:36 IST
Reason: SelfAttested

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत मोगड़ा कला से मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुखदेव पटेल तथा अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री मोती सिंह ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत मोगड़ा कला से मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 23.09.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि ग्राम पंचायत मोगडा कला, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर के राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम सुदा खसरा संख्या 366 रकबा 20.09 बीघा किस्म गैर मुमकिन बंजड दर्ज है। उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। सरपंच प्रकाश पटेल सन् 2019 में ग्राम पंचायत में सरपंच के पद पर रहा है। सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने मिलीभगत कर उपरोक्त तरमीम सुदा गैर मुमकिन बंजड भूमि को आबादी भूमि दर्शाकर निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया। पट्टा जारी करने से आज दिनांक तक भूखण्ड खाली है तथा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया है। उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 03 का कोई कब्जा नहीं है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है जबकि नियम 157 के तहत पुराने मकानों का ही नियमन किया जा सकता है परन्तु मिसल में नियमन शुदा भूमि पर मकान बने होने का कोई उल्लेख नहीं है बल्कि खाली भूमि का नियमन किया गया है जो नियमों के विरूद्ध है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि विवादग्रस्त भूखण्ड खसरा संख्या 366 गैर मुमकिन बंजड में स्थित है जो जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उक्त खसरे में ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत केवल ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर ही पट्टे जारी कर सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निगरानीधीन पट्टा विलेख जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमावें।

प्रार्थी अधिवक्ता ने निरन्तर बहस में बतलाया कि वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा खसरा संख्या 366 गैर मुमकिन बंजड भूमि को आबादी भूमि दर्शाकर 50 साल पुराना कब्जा बताकर गलत एवं मनगढत रिपोर्ट देकर अपने कर्तव्यों का दुरूपयोग किया है जबकि उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। निगरानी पेश करने के पीछे प्रार्थी का Locus Standi है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत मोगड़ा कला का निवासी है तथा खेतीबाडी के साथ–साथ पशुपालन का भी कार्य करता है। गांव में

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:23:36 IST
Reason: SelfAttested

पशुओं के चरने की भूमि का अभाव है। प्रार्थी अधिवक्ता ने नियम विरूद्ध जारी पट्टे को निरस्त करने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थी संख्या 03 के अधिवक्ता ने मौखिक बहस में बतलाया कि जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उक्त भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है अगर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 को पट्टा जारी करने में विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई तो उसकी जिम्मेदारी अप्रार्थी संख्या 03 की न होकर ग्राम पंचायत की है। अप्रार्थी संख्या 03 का उक्त भूखण्ड पर पुश्तैनी कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। नियम 157 के तहत पुराने मकानों का ही नियमन किया जा सकता है परन्तु मिसल में स्पष्ट नहीं किया गया है कि नियमन शुदा भूमि पर मकान बना है या नहीं। प्रार्थीपक्ष के कथनों तथा ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख से पुष्टि होती है कि अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में आलौच्य पट्टा संख्या 49 मिसल संख्या 124/2018–19 जो ग्राम पंचायत मोगड़ा कला द्वारा जारी किया गया उनमें विधिक प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं की है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानी स्वीकार योग्य है, परिणामस्वरूपः निगरानी स्वीकार की जाती है तथा निगरानीधीन पट्टा निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अगर निगरानीधीन पट्टे में वर्णित भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है तो अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन करने पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के नियमों की अक्षरशः पालना करते हुए आवेदन का निस्तारण करें। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत मोगड़ा कला को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 11.10.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:23:36 IST
Reason: SelfAttested

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर